न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/60/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/433

अपीलार्थी
श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव,
नि. ग्राम व पोस्ट–कारोड़ा,
तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज.)–301020

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 15.03.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.04.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 28.01.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत कारोड़ा, पं.स. बहरोड के उचित मूल्य राशन वितरण लाईसेंस, संचालित दुकान के किरायानामा, लाईसेंस प्राप्ति हेतु पेश आवेदन–पत्र आदि कुल 03 बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 04.03.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2023/768 दिनांकः 27.03.2023 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील व प्रत्यर्थी द्वारा अपील के संबंध में प्रस्तुत जवाब का समग्रतापूर्वक मनन/परीक्षण किया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 28.01.2023 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में किसी प्रकार का विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय द्वारा अपीलान्तर्गत जारी नोटिस के अनुक्रम में अपीलार्थी को पत्र सं. रसद/आरटीआई/2023/767 दिनांकः 27.03.2023 के माध्यम से सूचना का प्रेषण किया जाकर इस न्यायालय को पत्र सं. 768 दिनांकः 27.03.2023 के माध्यम से सूचित किया है जो उचित नहीं है।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः **उक्त आलोक में अपील अस्वीकार कर खारिज की जाकर निस्तारित** जाती है।
9. उक्त के अतिरिक्त लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
10. आज दिनांकः 04.04.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

अलवर (राज.)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)